बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 82   दिनांक 27/6/2008

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
शम्भू नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
राजेन्द्र चौधरी
(M) 9431093157
(O) 9431818010

अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री जी,
बिहार, पटना ।

विषयः– स्व0 अरविन्द कुमार मिश्र, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरियरी, शेखपुरा की हत्या के संबंध में।

महाशय,

दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के एक पदाधिकारी की जधन्य हत्या शेखपुरा पुलिस थाने के बगल में हुई तथा 14 घंटा तक मृतक का शव घटना स्थलपर पड़ा रहा। परन्तु प्रमण्डलीय आयुक्त एवं उप आरक्षी, महानिरीक्षक को तीन दिन बीत जाने के बाद भी घटना स्थल पर जाने का अपने कर्त्तव्य बोध का स्मरण नहीं आया। राज्य मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी भी संवेदन हीन बने रहे। दिनांक 24.06.2008 को आपके निदेशोपरान्त आरक्षी मुख्यालय हरकत में आयी।

स्व0 अरविन्द कुमार मिश्र नौजवान निर्भिक एवं कर्त्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी थे। प्रखंड की कई योजनाओं की जाँच में अनियमितता पकड़े जाने पर उन्हें धमकी दी जा रही थी। शिक्षकों की नियुक्ति में हुयी अनियमितता के मामले में उच्च न्यायालय में,(स्व. मिश्र (जाँच किये थे) एवं, उन्हें प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। जो उनका जानलेवा बना। दिनांक 22.06.08 को रविवारीय अवकाश होने के बाद भी प्रखंड कार्यालय जाकर सम्बंधित कागजात को तैयार कर आवास पर लौटते ही उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई ।

आप आवगत ही होंगे कि अरियरी प्रखंड में ही दिनांक 21.09.04 को तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी स्व. अशोक राजवत्स की भी हत्या हुई थी और अपराधी आज तक दंडित नहीं हो सके हैं।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ इस बात से क्षुब्ध एवं मर्माहत है कि इतनी बड़ी अप्रिय घटना होने के बाद सरकार की ओर से मृतक के परिवार को संवेदना के दो शब्द नहीं भेजा गया।

आपके द्वारा दिनांक 24.06.2008 को ली गई पहल तथा त्वरित गति से पारित आदेश की सराहना संध करती है।

परन्तु संघ आपसे अपेक्षा करती है और पूरजोर मॉग करती है कि निम्नलिखित कार्य अविलम्ब सरकार करायें :–

1. दोषी व्यक्तियों की हुई गिरफ्तारी के पश्चात साक्ष्य के आधार पर शीघ्र चार्यशीट दाखिल कराकर तथा स्पीडी ट्रायल कराया जाना।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक .... दिनांक ....

अध्यक्ष
अरुण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
* शम्भू नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बाडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
ओमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

2. इतने संवेदनशील मामले में वरीय पदाधिकारियों द्वारा वरती गयी उदाशीनता एवं स्वतः घटना के तीन दिनों तक स्थल पर नहीं जाने के कारण उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाय। चूँकि इससे सरकार की भी छवि धूमिल हुई है।
3. स्व0 अरविन्द कुमार मिश्र की विधवा को उनके पूर्ण सेवाकाल में देय प्रोन्नति लाभ सहित वेतन का नियमित रूप से विशेष पेंशन के रुप में भुगतान किया जाय।
4. विधवा को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में 25 (पच्चीस) लाख रूपये का भुगतान किया जाय।
5. दोनों अबोध पुत्री को विश्वविद्यालय स्तर तक की पढ़ाई पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाय।
6. विधवा को उनके सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप एक आवास उपलब्ध कराया जाय।
7. विधवा को उनके शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप राजपत्रित पद पर अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी जाय।
8. राज्य के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी लगातार हुए दोनों घटनाओं से क्षुब्ध एवं भयभीत हैं, इसलिए उनके कार्यालय एवं आवास पर सुरक्षा की ठोस व्यवस्था की जाय, ताकि भयमुक्त होकर क्षेत्रिय पदाधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन कर सके और इस प्रकार की घटना की पुनरावृति नहीं हो।

27/6/2008

अध्यक्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ